आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख

अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख आवेदक श्री रासिका लागुरी, पिता– सुपाय लागुरी, निवासी ग्राम– कुसमिता, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' जाति के है, के द्वारा खाता संख्या– 82, प्लॉट संख्या– 60, रकवा– 2.40 (दो एकड़ चालीस डिसमिल) एकड़ भूमि जो मौजा– कुसमिता, थाना संख्या– 441, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता 1. शैलेन्द्र लागुरी एवं 2. प्रेमकुन्दन लागुरी, दोनों के पिता– स्व० दामु लागुरी, ग्राम– कुसमिता, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) को छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विक्रेता श्री रासिका लागुरी का जाति प्रमाण पत्र संख्या– CST/0816/14/00747 है जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हाटगम्हरिया एवं निवासी प्रमाण पत्र संख्या– RES/0816/14/00856 है जो अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया द्वारा निर्गत है। प्रमाण पत्र के अनुसर विक्रेता हाटगम्हरिया प्रखण्ड के कुसमिता मौजा के निवासी है, जो कुमारडुँगी थाना के अंतर्गत आता है तथा इनका जाति 'हो' है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। क्रेता श्री शैलेन्द्र लागुरी को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCC/2019/508279 है एवं प्रेमकुन्दन लागुरी को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCC/2019/511385 है, जो अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया द्वारा निर्गत है। श्री शैलेन्द्र लागुरी का निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHRC/2019/452967 है एवं प्रेमकुन्दन लागुरी का निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHRC/2019/455861 है, दोनों का निवासी प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा निर्गत है। अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया का जाँच प्रतिवेदन में आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। आवेदित भूमि पंजी II में विक्रेता रासिका लागुरी के नाम से दर्ज है, जो केस सं०– 49/R27 2018–19 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा विक्रेता के नाम पर नामांतरित है। दिनांक 03.07.2020 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। ग्रामीण मुण्डा श्री सुनील लागुरी द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि खाता संख्या– 82, प्लॉट संख्या– 60, रकवा– 2.40 (दो एकड़ चालीस डिसमिल) एकड़ भूमि आवेदक के दखल एवं हिस्सा में मिला हुआ है एवं विक्री के बाद आवेदक के पास भरण पोषण हेतु प्रयाप्त भूमि बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है एवं दोनों अनुसूचित जनजाति के है। उनके द्वारा विक्री की अनुशंसा की गयी है।

आम सूचना निर्गत किया गया था जिसके उपरान्त कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल, हाटगम्हरिया के पत्रांक 160 दिनांक 20.07.2020 द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें विक्रेता के पास कुल धारित भूमि का रकवा 16.18 एकड़ दर्शाया गया है एवं प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा पूर्व में 2.16 एकड़ एवं वर्त्तमान में 2.40 एकड़ भूमि बिक्री करने के बाद आवेदक के पास 11.58 एकड़ भूमि शेष बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना कुमारडुँगी के निवासी है तथा दोनों 'हो' जाति के है, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– कुसमिता, थाना– कुमारडुँगी, थाना संख्या– 441, खाता संख्या– 82, प्लॉट संख्या– 60 एवं रकवा– 2.40 (दो एकड़ चालीस डिसमिल) एकड़ भूमि क्रेता 1. शैलेन्द्र लागुरी एवं 2. प्रेमकुन्दन लागुरी, दोनों के पिता– स्व० दामु लागुरी, ग्राम– कुसमिता, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। 05/08/2020 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।